सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 68/2016

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – कोटड़ा

श्री लालसिंह पुत्र श्री उदयसिंह उम्र 57 वर्ष निवासी कोटड़ा ब्यावर जिला–अजमेर

———————वादी

ब ना म

1– श्रीमान् तहसीलदार महोदय ब्यावर बजरिये लैण्ड होल्डर
2– श्रीमती सक्कू देवी पुत्री उदयसिंह
3– श्रीमती मीरा देवी पुत्री उदयसिंह
4– श्रीमती पार्वती देवी पुत्री उदयसिंह
5– श्रीमती गीता पुत्री उदयसिंह
6– श्रीमती सुशीला पुत्री उदयसिंह
7– श्रीमती रूकमणी उर्फ रेखा पुत्री उदयसिंह

समस्त 2 लगायत 7 जाति रावत निवासी कोटड़ा ब्यावर जिला अजमेर

—————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धरा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 25.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कोटड़ा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम कोटड़ा पटवार क्षेत्र कोटड़ा भू अभिलेख निरीक्षक काबरा के खसरा संख्या साबिक खसरा संख्या 1149 रकबा 02–15–00 जिसके हाल खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00, साबिक खसरा संख्या 1127, 1128, 1129 जिनके हाल खसरा 1770 रकबा 01–13–10 स्थित है जिसमें केवल मात्र विवाद खसरा संख्या 1149 इसके हाल खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 का ही विवाद है जिस बाबत् ये दावा किया जा रहा है। शेष खसरा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमियां वादी के पिता स्व. उदयसिंह वल्द करणसिंह जाति रावत निवासी कोटड़ा तहसील ब्यावर बएवज प्रतिफल रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17.10.74 को तत्कालीन खातेदार काश्तकार स्व. मोतीसिंह उम्र 45 साल वल्द श्री गाजीसिंह जाति रावत निवासी कोटड़ा के द्वारा खरीद की गयी थी और खरीदने के पश्चात् से ही उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार वादी के पिता स्व. उदयसिंह काबिज चले आ रहे थे व काश्त कर रहे थे। बेचाननामें के बाद वादी के पिता स्व. उदयसिंह के हक में उपरोक्त भूमियों का नामान्तरकरण दाखिल खारिज खुल गया लेकिन संहवन से भूमि खसरा संख्या 1798 मोती वल्द गाजी के नाम ही चला आ रहा था जिसकी कोई भी जानकारी वादीगण के पिता स्व. उदयसिंह जी जो कि अनपढ़ काश्तकार थे उन्हें जानकारी नहीं हो सकी। वादी के पिता स्व. उदयसिंह का वर्ष 1977 में स्वर्गवास हो गया व मोती वल्द गाजी की मृत्यु भी नाऔलाद हो चुकी व उसकी पत्नि श्रीमतती सुन्दरी की मृत्यु भी नाऔलाद हो चुकी है जिनके अब कोई जीवित वारिसान नहीं है, केवल वादी ही उनका रिश्तेदार है, इस कारण उक्त भूमि के लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर होने के कारण उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद का कारण दिनांक 29.06.2016 को उत्पन्न हुआ, वादी के पड़ौसी खातेदार द्वारा वादी के कब्जे के खेत पर दखलंदाजी करने पर आमादा रहने पर उसके द्वारा राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित नकले लेने पर उक्त खसरा भूमि आज भी स्व. मोतीसिंह की पत्नि स्व. सुन्दरी के नाम चले आने की जानकारी हुई, तत्पश्चात् उसके बेचाननामें के आधर पर भूमि अपने नाम करने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन करने पर न्यायालय से डिक्री जाने हेतु कहा गया इन कारण वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 का जो बेचाननामा दिनांक 17.10.74 के द्वारा वादी के पिता स्व. उदयसिंह द्वारा खरीदशुदा होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त भूमि में स्व. सुन्दरी पत्नि स्व. मोतीसिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में हटाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के नाम उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार ब्यावर को आदेश पारित करावें।

...............लगातार

25/5/18
सहायक कलक्टर
(मु.) ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – कोटड़ा

वादी लालसिंह स्वयं उपस्थित। तहसीलदार ब्यावर उपस्थित। वादी ने मज़में आम में कथन किए कि उनके पिता द्वारा उक्त भूमियां खरीदी हुई है जिसमें से खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 का नामान्तरकरण नहीं खुला है जो खोला जाकर राजस्व अभिलेखों में नाम वादी का नाम दर्ज करते हुए दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार ब्यावर ने मौखिक कथन किए कि वक्त बेचाननामा दिनांक 17.10.74 को उक्त भूमि मोतीसिंह अथवा सुन्दरी के नाम दर्ज होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 17.10.1974 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्री मोतीसिंह वल्द गाजीसिंह जाति रावत राजपूत निवासी कोटड़ा ने श्री उदयसिंह वल्द श्री करणसिंह जाति रावत राजपूत निवासी कोटड़ा को साबिक खसरा संख्या 1127, 1128, 1129 जिसके हाल खसरा संख्या 1770 कुल रकबा 01–13–10 पूरी आराजी का बेचान किया गया है। साथ ही उक्त बेचाननामें में यह अंकित किया गया है कि मुबैया निम्न आराजी के समीप विद्यमान रगत पड़त भूमि साबिक खसरा संख्या 1149 हाल खसरा संख्या 1798 पर जिस कद कब्जा काश्त मिकर का है, वह तमाम खरीददार का करा दिया। इसमें यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 1149 जिसके हाल खसरा संख्या 1798 है, को बेचान किया गया हो। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है तथा मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा संख्या 1149 रकबा 02–15–00 के हाल खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 बनना पाया जाता है। ग्राम कोटड़ा की जमाबन्दी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 463 में अन्य खसरान् के साथ अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 मोती वल्द गाजी कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में खसरा संख्या 1798 मोती वल्द गाजी कौम रावत सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 487 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1798 सुन्दरी पत्नि स्व. मौती कौम रावत सा देह खातेदार के नाम दर्ज है।

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यहां यह स्पष्ट होता है कि वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में खसरा संख्या 1798 मोती वल्द गाजी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रहा है जो पूर्व में सरकारी सिवायचक भूमि रही थी एवं जिसे मोती वल्द गाजी को आवंटित की गई एवं गैर खातेदारी की भूमि को श्री मोती को बेचान करने के अधिकार हासिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 17.10.1974 के बेचान के वक्त उक्त भूमि मोती के नाम अंकित थी अथवा नहीं इसका भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो बेचाननामा दिनांक 17. 10.1974 प्रस्तुत किया गया है उसमें वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा संख्या 1149 रकबा 02–15–00 के हाल खसरा संख्या 1798 रकबा 00–18–00 का बेचान किये जाने का कोई अंकन नहीं है बल्कि खरीदशुदा आराजी के समीप की भूमि होने के कारण कब्जा सौंपने का अंकन किया गया है जो बेचान की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि वक्त बेचान श्री मोती वल्द गाजी के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण श्री मोती वल्द गाजी को बेचान किये जाने के कोई हक अधिकार ही हासिल नहीं थे।

ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट कोटड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/18

(दीपांशु सामवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

सहायक कलेक्टर
(प्र.) ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम दीपांशु सांगवान आर. ए. एस.(प्रशिक्षु)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – कोटड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

राजस्व वाद संख्या 68/2016

श्री लालसिंह पुत्र श्री उदयसिंह उम्र 57 वर्ष निवासी कोटड़ा ब्यावर जिला–अजमेर
————वादी

ब ना म

1– श्रीमान् तहसीलदार महोदय ब्यावर बजरिये लैण्ड होल्डर
2– श्रीमती सक्कू देवी पुत्री उदयसिंह
3– श्रीमती मीरा देवी पुत्री उदयसिंह
4– श्रीमती पार्वती देवी पुत्री उदयसिंह
5– श्रीमती गीता पुत्री उदयसिंह
6– श्रीमती सुशीला पुत्री उदयसिंह
7– श्रीमती रूकमणी उर्फ रेखा पुत्री उदयसिंह
समस्त 2 लगायत 7 जाति रावत निवासी कोटड़ा ब्यावर जिला अजमेर
———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धरा 136 भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री चन्द्रदेव सांखला
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 2 से 7 – —
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 68/2016
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 25.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कोटड़ा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.05.2018 को दीपांशु सांगवान, आए.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट कोटड़ा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 25.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

25/5/18
(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

25/5/18
(दीपांशु सांगवान)
आर0ए0एस0 (प्र.)
सहायक कलक्टर, ब्यावर